सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A15-18 / 2018

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 10 जुलाई, 2018

महोदय,

कृपया हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्रांक–1246 / एचएनबीयूएमयू / सम्बद्धता / 18–19 दिनांक 26 जून, 2018 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को स्तम्भ–2 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
सुरजमल अग्रवाल प्रा0 कन्या महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग किच्छा, किशनपुर किच्छा, उधमसिंहनगर।	बी0एस0सी0 नर्सिंग	20सीट–प्रति सत्र	सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18

1. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध / त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।

4. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्था / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

5. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः–2:–